

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 जनवरी 2018—पौष 5, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना

क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच-(15)

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-33-2017/1/ पांच (42) दिनांक 5 अगस्त, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-
उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I -2.5% में,

(i) क्रम संख्या 76 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“76क	13	इमली गिरी का पाउडर”;
------	----	----------------------

(ii) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“78क	1404 या 3305	मेहंदी पेस्ट, कोन्स में”;
------	-----------------	---------------------------

- (iii) क्रम संख्या 103क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“103ख	2302	राइस ब्रान (तेल रहित राइस ब्रान से भिन्न)”;
-------	------	---

- (iv) क्रम संख्या 165 में, कॉलम (3) में “पारिवारिक घरेलू उपभोक्ताओं या” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

- (v) क्रम संख्या 165 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“165क	2711 12 00 2711 13 00, 2711 19 00	लिक्वीफाइड प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, लिक्वीफाइड प्रोपेन और लिक्वीफाइड ब्यूटेन और लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस, पारिवारिक घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए”;
-------	---	---

- (vi) क्रम संख्या 198क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “पुआल, एस्पेरोंओ या अन्य संग्रहन सामग्री के निर्माण; टोकरी कार्य और खपची कार्य”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (vii) क्रम संख्या 219क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “कोईरोय फैब्रिक्स, वेलवेट फैब्रिक्स” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (viii) क्रम संख्या 224 क में कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “6309 या 6310”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ix) क्रम संख्या 243 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“243क	88 या अन्य कोई अध्याय	वैज्ञानिक और तकनीकी औजार, उपकरण, उपस्कर, सहायक सामग्री, कलपुर्ज, घटक, स्पेयर्स, ट्लस, मोक अप्स और मॉइयूल्स, कच्चा माल और उपभोग की सामग्री जो कि प्रक्षेपण यानों और उपग्रह तथा पेलोइस के लिए आवश्यक हों”;
-------	-----------------------	--

(ख) अनुसूची II -6%, -

- (i) क्रम संख्या 32क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“32कक	1704	शुगर बॉयल्ड कनफेक्शनरी”;
-------	------	--------------------------

- (ii) क्रम संख्या 46क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“46ख	2201	20 लीटर की बोतलों में भरे पेयजल”;
------	------	-----------------------------------

(iii) क्रम संख्या 56 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “28 या 38” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 57क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“57ख	2809	उर्वरक श्रेणी के फास्फोरिक एसिड”;
------	------	-----------------------------------

(v) क्रम संख्या 59 में, कॉलम (2) में प्रविष्टि “29 या 3808 93” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“78क	3808	निम्नलिखित बायो-पेस्टीसाइड्स, यथा - 1 बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. इजराइलेसिस 2 बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. कर्स्टकी 3 बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. गेलेरिया 4 बेसिलस स्फेरिक्स 5 ट्राइकोडर्मा विरिडे 6 ट्राइकोडर्मा हर्जियानम 7 स्यूडोनाइमस फ्लूरोसेंस 8 ब्यूवेरियाबसियाना 9 एनपीवी ऑफ हेलिकोवर्पामिगेरा 10 एनपीवी ऑफ स्पूडोपट्रेलिट्रा 11 नीम आधारित कीटनाशी 12 सिम्बोपोगन
------	------	---

(vii) क्रम संख्या 80 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“80क	3826	बायो डीजल”;
------	------	-------------

(viii) क्रम संख्या 99क और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“99क	4418	बंबू वुड बिल्डिंग ज्वाइनरी”
99ख	4419	काष्ठ के टेबलवेयर और किचनवेयर”;

(ix) क्रम संख्या 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 104 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

- (xi) क्रम संख्या 133 में, कॉलम (3) में “एबर्जारेट कॉटन व्हल्स” शब्दों के पश्चात शब्द और कोष्ठक “[सिगरेट फिल्टर राइस को छोड़कर]” को जोड़ा जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 147 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “वोवेन पाइल फैब्रिक्स और चिनाइल फैब्रिक्स, कोर्झराय फैब्रिक्स और वेलवेट फैब्रिक्स को छोड़कर, उन फैब्रिक्स से भिन्न जो शीर्ष 5802 या 5806 में दिए गए हैं” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 195क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“195ख	8424	सूपीकलर्स; ड्रीप सिंचाई प्रणाली, जिसमें लेटरलस; मैकेनिकल्स स्प्रैयर्स भी आते हैं”;
-------	------	--

(C) अनुसूची III-9% में,-

- (i) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) में “वानस्पतिक उत्पादों से निष्कर्षित” शब्दों के पश्चात शब्द और कोष्ठक, “[इमली गिरी के पाउडर से भिन्न]” को जोड़ा जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 12 में, कॉलम (3) में, “ग्राउंड नट्स सीड और गजक” शब्दों की प्रविष्टि के स्थान पर “ग्राउंड नट्स सीड, गजक और शुगर ब्यायल्ड कन्फेकशनरी” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 24 में, कॉलम (3) में “बिना फ्लेवर वाले पदार्थ” शब्दों के पश्चात “[20 लीटर की बोतलों में बंद पेय जल से भिन्न]” शब्दों को जोड़ा जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 39 में, कॉलम (3) में “वस्तुओं की अन्य दर सूची” शब्दों के पश्चात “फास्फोरिक ऐसिड की श्रेणी के उर्वरक समेत” को जोड़ा जाएगा।
- (v) क्रम संख्या 59 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर “बालों में लगाए जाने वाले उत्पाद [मेहंदी पेस्ट, कोन्स में, को छोड़कर], को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 87 में, कॉलम (3) में “और इसी प्रकार के उत्पादों” शब्दों के पश्चात शब्द अंक और कोष्ठक “[अनुसूची-11 के क्रम संख्या 78क के समक्ष उल्लिखित बायो-पेस्टीसाइड्स से भिन्न]” को जोड़ा जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 137च में, कॉलम (3) में “शिंगिल्स और शेक्स” शब्दों के स्थान पर “[बंबू वुड बिल्डिंग जैवाइनरी से भिन्न]” शब्दों को जोड़ा जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“163क	56012200	सिगरेट फिल्टर राइस”;
-------	----------	----------------------

- (x) क्रम संख्या 236क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“236क	7323 9410	घमेला”
236ख	7324	सेनेटरी वेयर और उसके हिस्से, जो कि लोहा और इस्पात से बने हुए हैं”;

- (xi) क्रम संख्या 325 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “यांत्रिक उपकरण (चाहे ये हस्तचालित हों या नहीं) जो कि लिमिड या पाउडर के प्रोजेक्टिंग या डिस्प्रैसिंग या स्प्रैइंग के काम में आते हों; अग्निशामक, चाहे या चार्जड हों या नहीं; स्प्रै गन और इसी प्रकार के उपकरण; स्टीम या सेंड ब्लास्टिंग मशीनें और इसी प्रकार के जेट प्रोजेक्टिंग मशीनें [स्प्रीकलर्स ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जिसमें लेटलर्स भी आते हैं; मैकेनिकल स्पेयर्स; नोजल, जो कि ड्रिप सिंचाई उपकरणों में लगाए जाते हैं या नोजल जो कि स्प्रीकलर्स में लगाए जाते हैं, से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 399 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“399क	8702	बसें जो कि सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग में लाई जाती हैं और केवल जैव ईंधन से चलती हैं”
-------	------	--

(घ) अनुसूची -IV-14 %, में -

- (i) क्रम संख्या 164 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “मोटर व्हाइन जो कि चालक समेत 10 या इससे अधिक व्यक्तियों के परिवहन में प्रयोग किए जाते हैं [सार्वजनिक परिवहन में प्रयोग किए जाने वाले उन बसों से भिन्न जो कि केवल जैव ईंधन से चलते हैं]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

“229	कोई भी अध्याय	बाजी, जुआ या रेस क्लब में धुड़-दौड़ में जीत की संभावना के रूप में किए जाने वाले दावे”
------	---------------	---

(इ.) अनुसूची -V-1.5% में -

- (i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “अर्द्ध मूल्यवान नग, चाहें ये तराशे गए हों या नहीं या इनकी ग्रेडिंग दुई हो या नहीं लेकिन ये पिरोए या जड़े न गए हों; अर्द्ध मूल्यवान नग जो कि परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए [उनसे भिन्न जो कि तराशे न गए हों या साधारणतया काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दिया गया हो]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iii) क्रम संख्या 4 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग चाहे ये तराशे गए हों या ग्रेडेड हो या नहीं लेकिन पिरोए या जड़े न गए हों “[अनग्रेडेड सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग, जो कि परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए हों]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्दों “[लाक/शेलाक की छूटियों से भिन्न]” को निरसित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर “नकली आभूषण [लाक/शेलाक की छूटियों से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

अनुसूची -VI-0.125% में,-

- (i) क्रम संख्या 1 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सभी वस्तुओं” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 2 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “अर्द्ध मूल्यवान नग, जिन पर कोई काम नहीं हुआ हो या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“2क	7103	मूल्यवान नग (हीरे से भिन्न) अन ग्रेडेड मूल्यवान नग (हीरे से भिन्न)
-----	------	--

- (iv) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग जिन पर कोई काम न हुआ हो या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया गया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“2क	7104	सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड मूल्यवान नग
-----	------	--

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच (15), दिनांक 25 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव।

NOTIFICATION

No. F A3-33-2017-1-V(15)

Bhopal, the 25th January 2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department's notification No. F A-3-33/2017/1/V(42) dated 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in Schedule I - 2.5%,

(i) after S. No. 76 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“76A	13	Tamarind kernel powder”;
------	----	--------------------------

(ii) after S. No. 78 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“78A	1404 or 3305	Mehendi paste in cones”;
------	-----------------	--------------------------

(iii) after S. No. 103A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“103B	2302	Rice bran (other than de-oiled rice bran)”;
-------	------	---

- (iv) in S. No. 165, in column (3), the words, "to household domestic consumers or", shall be omitted;
- (v) after S. No. 165 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"165A	2711 12 00 2711 13 00, 2711 19 00	Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to household domestic consumers";
-------	---	--

- (vi) in S. No. 198A, for the entry in column (3), the entry "Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork", shall be substituted;
- (vii) in S. No. 219A, for the entry in column (3), the entry "Corduroy fabrics, velvet fabrics", shall be substituted;
- (viii) in S. No. 224A, for the entry in column (2), the entry "6309 or 6310", shall be substituted;
- (ix) after S. No. 243 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"243A	88 or Any other chapter	Scientific and technical instruments; apparatus, equipment, accessories, parts, components, spares, tools, mock ups and modules, raw material and consumables required for launch vehicles and satellites and payloads";
-------	-------------------------	--

(B) in Schedule II-6%, -

- (i) after S. No. 32A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: -

"32AA	1704	Sugar boiled confectionery";
-------	------	------------------------------

- (ii) after S. No. 46A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: -

"46B	2201	Drinking water packed in 20 litres bottles";
------	------	--

- (iii) in S. No. 56, for the entry in column (2), the entry “28 or 38”, shall be substituted;
- (iv) after S. No. 57A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“57B	2809	Fertilizer grade phosphoric acid”;
------	------	------------------------------------

- (v) in S. No. 59, for the entry in column (2), the entry “29 or 3808 93”, shall be substituted;
- (vi) after S. No. 78 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“78A	3808	The following Bio-pesticides, namely -
	1	Bacillus thuringiensis var. israelensis
	2	Bacillus thuringiensis var. kurstaki
	3	Bacillus thuringiensis var. galleriae
	4	Bacillus sphaericus
	5	Trichoderma viride
	6	Trichoderma harzianum
	7	Pseudomonas fluorescens
	8	Beauveriabassiana
	9	NPV of Helicoverpaarmigera
	10	NPV of Spodopteralitura
	11	Neem based pesticides
	12	Cymbopogon

- (vii) after S. No. 80 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“80A	3826	Bio-diesel”;
------	------	--------------

- (viii) for S. No. 99A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“99A	4418	Bamboo wood building joinery”
99B	4419	Tableware and Kitchenware of wood”;

- (ix) S. No. 103 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (x) S. No. 104 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (xi) in S. No. 133, in column (3), after the words, "Absorbent cotton wool", the words and brackets, "[except cigarette filter rods]", shall be added;
- (xii) in S. No. 147, for the entry in column (3), the entry "Woven pile fabrics and chenille fabrics except Corduroy fabrics, velvet fabric, other than fabrics of heading 5802 or 5806", shall be substituted;
- (xiii) after S. No. 195A, and entries relating thereto the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"195B	8424	Sprinklers; drip irrigation system including laterals; mechanical sprayers";
-------	------	--

(C) in Schedule III - 9%, -

- (i) in S. No. 3, in column (3), after the words "derived from vegetable products" the words and brackets, "[other than tamarind kernel powder]" shall be added;
- (ii) in S. No. 12, in column (3), for the words "groundnut sweets and gajak", the words "groundnut sweets, gajak and sugar boiled confectionery", shall be substituted;
- (iii) in S. No. 24, in column (3), after the words, "matter nor flavoured", the words, "[other than Drinking water packed in 20 litres bottles]" shall be added;
- (iv) in S. No. 39, in column (3), after the words, "other Rate Schedules for goods", the words, "including Fertilizer grade Phosphoric acid" shall be added;
- (v) in S. No. 59, for the entry in column (3), the entry "Preparations for use on the hair [except Mehendi pate in Cones] shall be substituted;
- (vi) in S. No. 87, in column (3), after the words, "and similar products", the words, figure and brackets, "[other than bio-pesticides mentioned against S. No. 78A of schedule -II]" shall be added;
- (vii) S. No. 99, and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (viii) in S. No. 137F, in column (3), after the words, "shingles and shakes", the words, "[other than bamboo wood building joinery]" shall be added;
- (ix) after S. No. 163 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"163A	56012200	Cigarette Filter rods";
-------	----------	-------------------------

- (x) for S. No. 236A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"236A	7323 9410	Ghamella
236B	7324	Sanitary ware and parts thereof, of iron and steel";

- (xi) in S. No. 325, for the entry in column (3), the entry "Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines [other than sprinklers; drip irrigation systems including laterals; mechanical sprayer; nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers]" shall be substituted;
- (xii) after S. No. 399 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"399A	8702	Buses for use in public transport which exclusively run on Bio-fuels"
-------	------	---

(D) in Schedule-IV-14%, -

- (i) in S. No. 164, for the entry in column (3), the entry "Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver [other than buses for use in public transport, which exclusively run on Bio-fuels]" shall be substituted;
- (ii) after S. No. 228, and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"229	Any Chapter	Actionable claim in the form of chance to win in betting, gambling, or horse racing in race club"
------	-------------	---

(E) in Schedule-V-1.5%, -

- (i) S. No. 2, and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (ii) in S. No. 3, for the entry in column (3), the entry "Semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport [other than Unworked or simply sawn or roughly shaped]" shall be substituted;

- (iii) in S. No. 4, for the entry in column (3), the entry “Synthetic or reconstructed semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport” shall be substituted;
- (iv) against S. No. 13, in column (3), the words and symbols, “[other than bangles of lac/shellac]” shall be omitted;
- (v) against S. No. 17, in column (3), for the entry, the entry “Imitation jewellery [other than bangles of lac/shellac]” shall be substituted.

(F) in Schedule-VI - 0.125%, -

- (i) in S. No. 1, for the entry in column (3), the entry, “All goods” shall be substituted;
- (ii) in S. No. 2, for the entry in column (3), the entry, “Semi-precious stones, unworked or simply sawn or roughly shaped” shall be substituted;
- (iii) after S. No. 2, and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“2A	7103	Precious stones (other than diamonds), ungraded precious stones (other than diamonds)”
-----	------	--

- (iv) in S. No. 3, for the entry in column (3), the entry, “Synthetic or reconstructed semi-precious stones, unworked or simply sawn or roughly shaped” shall be substituted;
- (v) after S. No. 3, and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“4	7104	Synthetic or reconstructed precious stones”
----	------	---

2. The notification shall come into force on the 25th January, 2018.

By order and in the name of the Governor or Madhya Pradesh
ARUN PARMAR, Dy. Secy.